AFR.

# राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।

सुरक्षित

## अपील सं0 1139/2003

(जिला उपभोक्ता फोरम, गौतम बुद्ध नगर द्वारा परिवाद सं0 484/2001 में पारित आदेश दिनांक 05.4.2003 के विरूद्ध)

प्रयाग हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर व अन्य .....अपीलार्थीगण

बनाम्

श्री विजय पाल .....प्रत्यर्थी

**समक्ष :–**

**1. मा0 न्यायमूर्ति श्री भवँर सिंह, अध्यक्ष**

**2. मा0 श्री एस0ए0ए0 रिजवी, सदस्य**

**3. मा0 श्री रामपाल सिंह, सदस्य**

अधिवक्ता अपीलार्थीगण : श्री आर0के0 वर्मा।
अधिवक्ता प्रत्यर्थी : श्री अनिल कुमार मिश्रा।
दिनांक : 19.7.2010

## मा0 श्री रामपाल सिंह, सदस्य द्वारा उद्घोषित निर्णय

जिला उपभोक्ता फोरम, गौतम बुद्ध नगर के आदेश दिनांक 05.4.2003 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थीगण द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा–15 के अन्तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपील योजित की गयी। जिला मंच द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया गया :–

''उपरोक्त विवेचना के आधार पर फोरम का आदेश है कि परिवादी श्री विजयपाल को प्रश्नगत दोषपूर्ण उपचार के प्रति विपक्षीगण द्वारा पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से उपचार पर हुए व्यय मुबलिग रू. 1,33,830.00 एवं मानसिक व शारीरिक यंत्रणा की क्षतिपूर्ति के रूप में मुबलिग रू. 1,00,000.00 एवं वाद व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में मुबलिग रू. 2000.00 की धनराशि आज से 45 दिन के अन्दर अदा की जाए। यदि भुगतान नियत अवधि में नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता, विपक्षीगण से उक्त धनराशि पर इस आदेश की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक अंकन 6.5 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करेगा। उपरोक्त समस्त धनराशि का भुगतान पे ऑर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट जो अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम, गौतम बुद्ध नगर के नाम देय हो, द्वारा किया जाए।''

प्रस्तुत प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी श्री विजयपाल एक दूध का काम करने वाला एक साधारण किसान है तथा भैंसों द्वारा चोट लगने के फलस्वरूप उसके बायें पैर में चोट लग गयी थी, परिणामस्वरूप दिनांक 29.9.2000 को वह प्रयाग हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, सैक्टर–41, नोएडा में डॉ0 बी0पी0 सिंह से मिला, जहाँ पर उसको उपचार हेतु भर्ती कर लिया गया तथा अक्टूबर के अन्तिम सप्ताह तक उपचार करने के उपरान्त विपक्षीगण द्वारा उसका बायाँ पैर सैप्टिक होने के आधार पर बिना शिकायतकर्ता अथवा उसके परिजनों की सहमति के शल्य–चिकित्सक द्वारा काट दिया गया। परिवादी के अनुसार विपक्षीगण ने उसके उपचार में घोर असावधानी बरती है तथा दोषपूर्ण चिकित्सा सेवा के कारण

शिकायतकर्ता अपंग हो गया है। उसे दिनांक 29.9.2000 से 22.12.2000 तक प्रयाग अस्पताल में भर्ती रखा गया तथा बिना किसी अन्य अस्पताल अथवा विशेषज्ञ–चिकित्सक की सलाह लिए उसके पैर को काट दिया गया, जिसके कारण परिवादी शारीरिक रूप से अपंग हो गया। परिवादी द्वारा विपक्षीगण की इस असावधानी तथा दोषपूर्ण चिकित्सा सेवा के प्रति अंकन रू. 5,00,000.00 शारीरिक एवं मानसिक यंत्रणा की क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाए जाने की मांग की है। जिला मंच के समक्ष परिवादी द्वारा अपने परिवाद की पुष्टि में विपक्षीगण को उपचार से सम्बन्धित किए गए भुगतान की रसीदें, भुगतान बिल, डिस्चार्ज–कार्ड तथा परिवादी का स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया।

जिला मंच के समक्ष विपक्षीगण ने अपने लिखित अभिकथन में कहा है कि परिवादी विजयपाल का चिकित्सकीय परीक्षण दिनांक 29.9.2000 को प्रयाग हास्पिटल में किया था। प्रयाग अस्पताल एक ख्याति प्राप्त अस्पताल है, जिसमें विपक्षी संख्या–2 डॉ0 बी0पी0 सिंह उक्त अस्पताल के डायरेक्टर, विपक्षी संख्या–3 डॉ0 एस0पी0 शर्मा चाइल्ड स्पेशलिस्ट तथा विपक्षी संख्या–4 प्लास्टिक सर्जन है। उक्त अस्पताल में विपक्षीगण द्वारा परिवादी का अनुभवी डॉक्टरों द्वारा पूरी सावधानी से समुचित चिकित्सा/उपचार किया गया। विपक्षीगण के अनुसार दिनांक 29.9.2000 को ही परिवादी के बायें पैर में गैंगरीन के लक्षण पाये गये थे तथा उक्त पैर बिना रक्त प्रवाह के शून्य की स्थिति में पाया गया था, इसलिए परिवादी के पैर को काटने की बात कही गयी थी। परन्तु परिवादी एवं उसके परिजनों के अनुरोध पर परिवादी के बायें पैर में छोटा आपरेशन करके प्रयास किया गया कि पैर को न काटना पड़े, परन्तु छः सप्ताह तक भी कोई सुधार न होने की स्थिति में अन्य कोई विकल्प न देखकर परिवादी की स्वयं की तथा उसके परिजन की सहमति के आधार पर परिवादी का बायाँ पैर काटना पड़ा, जिसके लिए परिवादी एवं उसके परिजनों को पूर्ण रूप से सूचित कर दिया गया था। इसलिए परिवादी का परिवाद पूर्णतया भ्रामक, त्रुटिपूर्ण एवं निरस्त किए जाने योग्य है।

परिवादी द्वारा विपक्षीगण के उपरोक्त लिखित अभिकथन का प्रतिवाद करते हुए सशपथ अपनी शिकायत की पुष्टि की गयी है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि विपक्षीगण ने उसके उपचार में लापरवाही बरती है तथा पैर काटने से पूर्व, परिवादी द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र की जो फोटो प्रति दाखिल की गयी है, वह फर्जी है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील के आधारों में मुख्य रूप से कहा है कि विपक्षीगण द्वारा परिवादी की चिकित्सा एवं उपचार पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता के साथ किया है तथा इस केस में किसी विशेषज्ञ/तकनीकी रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय आयोग द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि जब तक उपचार में असावधानी तथा लापरवाही सिद्ध न हो जाए तथा किसी विशेषज्ञ की तकनीकी राय से यह पुष्ट न हो जाये कि उपचार में उदासीनता अथवा त्रुटि बरती

गयी है, तब तक त्रुटिपूर्ण उपचार के लिए चिकित्सक का दायित्व नहीं माना जाये। यह कि परिवादी द्वारा स्वयं अपने इलाज में विलम्ब किया गया है क्योंकि उसके द्वारा सर्वप्रथम क्वैक्स से इलाज कराया गया, जिनके द्वारा उसके टूटे हुए पैर में बांस की खपच्ची मजबूती से बांधी गयी, जिसके कारण उसके घायल पैर में गैंगरीन पैदा हो गयी। यह कि परिवादी अपने परिवाद में प्रथम डॉक्टर, जिसके द्वारा प्रथम उपचार (firstaid) किया गया है, को पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए उसका परिवाद Non-joinder and Mis-joinder की श्रेणी में आता है। यह कि परिवादी का पैर काटने से पहले उसकी लिखित सहमति ली गयी थी और उसका उपचार/चिकित्सा पूर्ण सावधानी, सतर्कता एवं दक्षता से किया गया। इसलिए जिला मंच का आदेश विधिसम्मत नहीं है और परिवादी किसी भी अनुतोष को पाने का अधिकारी नहीं है।

पीठ द्वारा पत्रावली का समुचित परिशीलन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का भली–भांति परीक्षण किया तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों का बिन्दुवार श्रवण किया गया।

1. अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा है कि अपीलार्थी/विपक्षी संख्या–2, प्रयाग हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर प्रा0 लि0, सैक्टर–41, नोएडा का डायरेक्टर है तथा 15 वर्ष के अनुभव के साथ एक प्रशिक्षित अस्थि रोग विशेषज्ञ है। परिवादी विजयपाल जब दिनांक 29.9.2000 को उसके अस्पताल लाया गया, तब उसका बायाँ पैर भैंसों के झुण्ड द्वारा भयानक रूप से कुचला/पिसा हुआ तथा बांस की खपच्चियों से बंधा हुआ था। डॉ0 बी0पी0 सिंह द्वारा परिवादी के पैर का तत्काल परीक्षण किया गया, तब उसके बायें पैर की स्थिति एडमिशन रिकार्ड के कालम नं0 'ए' की अन्तिम लाईन के अनुसार इस प्रकार है, "नीला पड़ गया, जान नहीं है, पैर घुटने के ऊपर से काटना है, खून का वनरव का दौरान नहीं है।"

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में आगे कहा है कि परिवादी के कुचले हुए पैर के टिसूज मर चुके थे और उसमें गैंगरीन पैदा हो गया था। विपक्षी डॉ0 बी0पी0 सिंह द्वारा उसका एक्सरे किया गया, जिसमें पाया गया कि उसके बायें पैर की दोनों हड्डियों में Comminuted Fracture है और उसके घुटने तक Compartment Syndrome (Gangrene) है, जिसका उल्लेख डिस्चार्ज एडमीशन कार्ड में किया गया है। सर्वप्रथम परिवादी के पैर की नसों में दबाव को कम करने के लिए दिनांक 29.9.2000 को उसके बायें पैर का छोटा आपरेशन Faciotomy किया गया। परन्तु जब उसके पैर में छः सप्ताह तक कोई सुधार नहीं हुआ, तब Gangrene तथा Septicimea फैलने से बचाने के लिए परिवादी विजयपाल की सहमति दिनांक 18.11.2000 के आधार पर उसके जीवन की सुरक्षा के लिए इमरजेन्सी में उसका बायाँ पैर काटा गया और परिवादी का उपरोक्त सभी उपचार चिकित्सा पद्धति में दिए गए मानकों के आधार पर किया गया है।

उपरोक्त के विरोध में प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा कि विपक्षी डॉक्टर द्वारा चिकित्सा पद्धति के द्वारा परिवादी का इलाज नहीं किया गया है। अपीलार्थी/विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क निराधार है कि परिवादी के बायें पैर में गैंगरीन फैल जाने के कारण उसकी फैसियोटॉमी की गयी। प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अपीलार्थी/विपक्षीगण द्वारा परिवादी की फैसियोटॉमी नहीं की गयी है क्योंकि अपीलार्थी डॉक्टर द्वारा परिवादी की एक्सरे रिपोर्ट तथा फैसियोटॉमी के पूर्व के फोटो आदि कागजात प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। विपक्षी डॉक्टर द्वारा परिवादी के जो इलाज के बिल के पर्चे दिए गए हैं, उन पर कहीं भी फैसियोटॉमी के इलाज का चार्ज नहीं किया गया है। विपक्षी डॉक्टर द्वारा दिए गए बिल में अंकित 19 आईटम में से आइटम नं0 8 पर सर्जन फीस (फिक्सेसन) का ही भुगतान लिया गया है। अपीलार्थी का यह कहना कि फिक्सेसन के अन्तर्गत फैसियोटॉमी आती है, इसके विरोध में प्रत्यर्थी द्वारा कहा गया है कि मेडिकल टेक्सट बुक के पृष्ठ संख्या–2449 में फैसियोटॉमी निम्नानुसार वर्णित है :–

"At 48 to 72 hours the patient is returned to the operating room for debridement of any necrotic material. Intravenous fluorescein and a Wood light can be helpful in evaluating muscle viability. If there is no evidence of muscle necrosis, the skin is loosely closed. If closure is not accomplished, the debridement is repeated after another 48- to 72-hour interval, after which skin closure or skin grafting can be done."

"If fasciotomy is done within 25 to 30 hours after onset, the prognosis is good. Little or no return of function can be expected if diagnosis and treatment are delayed. No benefit from fasciotomy has been reported after the third or fourth day. Infact, fasciotomy probably is contraindicated after the third or fourth day; if done late, severe infections have been reported to occur in the necrotic muscle of many patients. Tendon transfers and foot stabilization may be indicated as late treatment, but in most patients enough scarring and contracture eventually develop in the anterior musculature to prevent footdrop."

इस प्रकार फैसियोटॉमी की प्रक्रिया एक दिन में पूरी नहीं होती। यह 48 से 72 घण्टे तक चलती है, जब तक कि मांसपेशियां सुचारू रूप से अपना कार्य प्रारम्भ न कर दें। बेड हेड टिकट पर इस बात का कहीं भी अंकन नहीं है कि विपक्षी डॉक्टर द्वारा फैसियोटॉमी किस दिन और किस समय तक की गयी है और न ही उसका बिल में चार्ज किया है, इसलिए विपक्षी डॉक्टर द्वारा परिवादी का फैसियोटॉमी किया जाना सिद्ध नहीं है। अपीलार्थी डॉक्टर द्वारा पैर काटने की इमरजेन्सी/अरजेन्सी के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख/सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी डॉक्टर द्वारा

परिवादी का जो तथाकथित सहमति पत्र दिनांक 29.9.2000 तथा दिनांक 18.11.2000 दाखिल किया गया है, उसके अवलोकन से विदित है कि यह ''मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया'' के नियमों में दिए गए प्राविधानों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर नहीं है। एडमिशन कार्ड के कालम 'ए' की अन्तिम लाईन में निम्न वाक्य, ''पैर घुटने के ऊपर से काटना है, खून का वनश्व का दौरान नहीं है'' बाद में बढ़ाया गया है क्योंकि यह दूसरे पेन से बारीक अक्षरों में दूसरे हैण्ड राईटिंग में लिखा गया है। यह वाक्य दिनांक 29.9.2000 को लिखा दर्शाया गया है। यदि यह वाक्य सही होता तो परिवादी का पैर दिनांक 29.9.2000 को ही काटा गया होता, परन्तु परिवादी का पैर दिनांक 18.11.2000 को काटा गया। इससे यह प्रतीत होता है कि विपक्षी डॉक्टर ने दिनांक 18.11.2000 को पैर काटने के आपरेशन के औचित्य को उचित ठहराने के लिये उक्त वाक्य कपट पूर्ण तरीके से बाद में जोड़ा/बढ़ाया गया है, जो उसके दुष्कृत को परिलक्षित करता है। सहमति पत्र दिनांक 29.9.2000 पर साक्षी हरवीर सिंह व राज पाल सिंह के हस्ताक्षर बने हैं। उल्लेखनीय है कि विपक्षी डॉक्टर के हस्ताक्षर दिनांक 29.9.2000 तथा साक्षी राज पाल सिंह के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 17.10.2000 अंकित है, अर्थात् साक्षी राज पाल सिंह के हस्ताक्षर परिवादी के आपरेशन के 18 दिन बाद कराये गये हैं क्योंकि राज पाल सिंह ने अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 17.10.2000 अंकित किए हैं। इस अभिलेख को उपरोक्त साक्षीगण द्वारा सत्यापित नहीं कराया गया है। दिनांक 18.11.2000 का सहमति पत्र किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, जिस पर लिखने वाले के न तो हस्ताक्षर हैं और न ही उसका नाम इसमें अंकित किया गया है। उक्त सहमति पत्र की अन्तिम दो लाइनें बाद में बढ़ाई गयी हैं, जो इस प्रकार है, ''मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना एवं कन्सेन्ट दे रहा हूँ कि हमारे पैर को काटकर नकली पैर लगाने की स्थिति में कर दिया जाये।'' परिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा इस सहमति पत्र पर अपना निशानी अँगूठा तथा हस्ताक्षर करने से इंकार किया है। इसलिए सहमति पत्र के मूल अभिलेख के अभाव में उपरोक्त अभिलेख संदिग्ध प्रतीत होता है।

पीठ द्वारा परिवादी/प्रत्यर्थी से जब उपरोक्त सहमति पत्र पर परिवादी के निशानी अँगूठा के सम्बन्ध में एक्सपर्ट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया तो उसके द्वारा यह कहा गया कि उसके काउन्सिल एक्सपर्ट द्वारा प्रश्नगत सहमति पत्र की फोटो कॉपी पर अपनी एक्सपर्ट ओपीनियन देने से यह कह कर मना कर दिया कि फोटो कॉपी पर पेन का प्रेसर, राइटिंग लिखने के स्टेप्स तथा इंक का फ्लो निर्धारित नहीं हो पाता है, इसलिए प्रश्नगत फोटो कॉपी सहमति पत्र पर एक्सपर्ट रिपोर्ट दिया जाना सम्भव नहीं है। परन्तु अपीलार्थी/विपक्षी द्वारा श्री दीपक जैन की एक्सपर्ट रिपोर्ट दिनांक 05.3.2009 प्रस्तुत की है, जिसके प्रथम दो प्रस्तर में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :—

"As the disputed and admitted signatures are on the Photostat documents, as such comparison of the writing characteristics such as pen position, pen pressure and shading is not possible in these signatures.

The line quality defects also cannot be detected in a Photostat document as the Photostat documents under examination are not the proper Photostat documents i.e., direct Photostat copy of the original documents as such tremors, hesitation, pen pause, pen lift, quidelines or outlines i.e., line quality defects of forged nature cannot be detected."

उपरोक्त प्रश्नगत सहमति पत्र के सम्बन्ध में एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.3.2009 में यह आबजर्व किया है कि सहमति पत्र पर विवादित हस्ताक्षर की पुष्टि की दशा में हस्ताक्षर (मार्क्ड क्यू–1) एक ही व समान व्यक्ति विजय पाल द्वारा किये गये हैं, जिनके एडमिटेड हस्ताक्षर एस–1 से एस–3 है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त एक्सपर्ट रिपोर्ट में विवादित और ग्राह्य हस्ताक्षर, जो फोटोस्टेट है, में हस्तलिपि की विशेषतायें जैसे पेन पोजीसन, पेन प्रेसर, शेडिंग की पहचान सम्भव नहीं है। फोटोस्टेट डॉक्यूमेन्ट में लाइन क्वालिटी का डिफेक्ट भी ज्ञात करना सम्भव नहीं है। फोटोस्टेट डॉक्यूमेन्ट में Tremors, Hesitation, Pen pause, Pen lift, Guidelines तथा Outlines की पहचान नहीं हो सकती। इस प्रकार उपरोक्त एक्सपर्ट रिपोर्ट विरोधाभाषी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी डॉक्टर द्वारा साक्षीगण से उक्त सहमति पत्र को सत्यापित नहीं कराया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समीरा कोहली बनाम् प्रभा मनचन्दा, I (2008), CPJ 56 तथा सत्य एम0 पिल्लई बनाम् एस0एस0 शर्मा, IV (2007), CPJ 131 (NC) में अवधारित किया गया है कि सहमति दो प्रकार की होती है। प्रथम– Inform consent तथा द्वितीय– Real consent. विपक्षी डॉक्टर द्वारा दाखिल की गयी फोटो कॉपी की सहमति उपरोक्त किसी भी सहमति के अन्तर्गत नहीं आती है। यह बिन्दु अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि विपक्षी डॉक्टर द्वारा मूल रूप में परिवादी के उपरोक्त सहमति पत्र दिनांक 29.9.2000 तथा 18.11.2000 न तो जिला मंच के समक्ष और न ही इस पीठ के समक्ष प्रस्तुत किये गये। केवल उसके द्वारा फोटो कॉपी ही दाखिल की गयी है। यह भी विचारणीय है कि जब किसी मरीज का पैर काटने की स्थिति बन रही हो तो उसकी मनःस्थिति किस प्रकार की होगी और इस भयावह मनःस्थिति में वह अपने पैर काटने की सहमति किस प्रकार प्रदान करेगा, यह बात विचित्र सी लगती है। जब मरीज अपने होसोहवास में ही नहीं होगा तो वह अपने पैर काटने की सहमति किस प्रकार देगा। विपक्षी डॉक्टर ने बिना सावधानी बरते, लापरवाही से किंये गये आपरेशन के औचित्य को सिद्ध करने के लिये कपट पूर्ण तरीके से आफ्टर थॉट/बैक डेट में उपरोक्त अभिलेख तैयार किये हैं। अस्तु विपक्षी डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत की गयी परिवादी की फोटोस्टेट सहमति आफ्टर थॉट एवं मैनुपुलेटेड अभिलेख की श्रेणी में आता है, जो अपने आप में संदिग्ध है।

इस प्रकार विपक्षी डॉक्टर द्वारा परिवादी की बिना फैसियोटॉमी किये और उसका घाव ठीक किये बिना हड्डियों को जोड़ने के लिये प्लास्टर कर दिया गया, जिसके कारण इन्फैक्शन पैदा हो गया। उसके द्वारा इन्फैक्शन को दूर करने के लिए

उपयुक्त दवाईयाँ एवं एण्टीबाइटिक भी नहीं दी गयीं। विपक्षी डॉक्टर द्वारा परिवादी के जीवन की सुरक्षा एवं इमरजेन्सी में उसके पैर काटने के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख/सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और परिवादी की उपरोक्त फर्जी सहमति पत्र दिनांक 18.11.2000 के आधार पर उसका बायाँ पैर काट दिया गया। इस कारण विपक्षी डॉक्टर की चिकित्सीय लापरवाही के कारण परिवादी के बायें पैर को काट कर उसके शरीर को अंग—भंग कर दिया गया। अस्तु अपीलार्थीगण/विपक्षीगण पर चिकित्सकीय उदासीनता, असावधानी एवं लापरवाही का आरोप सिद्ध होता है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी प्रयाग हास्पिटल में दिनांक 29.9.2000 से 21.12.2000 तक भर्ती रहा और परिवादी के इलाज सम्बन्धी पर्चों को समयानुसार बनाया गया है। उपरोक्त के विरोध में प्रत्यर्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा कि विपक्षीगण द्वारा परिवादी को इलाज सम्बन्धी कोई भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया। यहाँ तक कि अपीलार्थी/विपक्षीगण द्वारा न तो जिला मंच के समक्ष और न ही अपील योजित करते समय परिवादी के इलाज से सम्बन्धित रिकार्ड्स को दाखिल किया गया। परन्तु जब आयोग द्वारा अपील के ग्राह्य होने की सुनवाई के समय अपीलार्थी को आदेशित किया गया, तब अपीलार्थी द्वारा परिवादी के इलाज से सम्बन्धित बेड हेड टिकट आदि कतिपय अभिलेख दाखिल किए गये। बेड हेड टिकट के अवलोकन से विदित है कि यह निर्धारित प्रारूप पर नहीं बनाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि बेड हेड टिकट के पृष्ठ संख्या—6 से 9 तथा 13 से 15 एक ही व्यक्ति की हैंड राइटिंग में, समान पेन द्वारा लिखा गया है और इन पर कोई तिथि अंकित नहीं है। यदि बेड हेड टिकट नियमित रूप से रोजाना तैयार किया जाता तो वह समान हैंड राइटिंग और समान पेन से न बनाया जाता।

विपक्षी डॉक्टर द्वारा परिवादी के भर्ती रिकार्ड दिनांक 29.9.2000 के अवलोकन से विदित है कि पर्चे पर भर्ती की तिथि 29.9.2001, आपरेशन की तिथि 29.9.2001 तथा डिस्चार्ज होने की तिथि 22.12.2001 में वर्ष के अंक एक (1) पर ओवर राइटिंग किया गया हैं, जिसमें एक (1) को जीरो (0) बनाया गया है अर्थात् वर्ष के तीनों स्थानों पर 2001 को 2000 बनाया गया है।

अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए परिवादी के इलाज के पर्चा नं0 9 दिनांक 12.12.2003 एवं पर्चा नं0 10 दिनांक 18.12.2003 से विदित है कि उस पर तिथि में ओवर राइटिंग की गयी है और उस पर अंकित वर्ष 2003 में, तीन (3) के अंक को जीरो (0) बनाया गया है। पर्चा नं0 9 पर किसी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा पर्चा नं0 10 के दूसरे पेज पर तिथि अंकित नहीं है। पर्चा नं0 16 पर दिनांक 15.12.03 अंकित की गयी है, जबकि परिवादी उक्त अस्पताल में दिनांक 29.9.2000 से दिनांक 21.12.2000 तक भर्ती रहा है और दिनांक 21.12.2000 को डिस्चार्ज हुआ है। इससे यह विदित है कि चूँकि प्रस्तुत अपील दिनांक 30.4.03 को इस आयोग में योजित की गयी है, इसलिए उपरोक्त रिकार्ड अपील के लम्बित रहने की अवधि में तैयार किये गये हैं, जिसके कारण उपरोक्त रिकार्ड्स में कहीं वर्ष 2001 तथा कहीं वर्ष 2003

अंकित किया गया है और वर्ष के अन्तिम अंक एक (1) तथा तीन (3) को ओवर राइटिंग करके जीरो (0) बनाया गया है और इन ओवर राइटिंग पर विपक्षी डॉक्टर के हस्ताक्षर नहीं बने हैं। इससे यह सिद्ध है कि उपरोक्त रिकार्ड धोखा देने के लिए बाद में आफ्टर थॉट बनाये गये हैं। जिला मंच द्वारा भी विपक्षीगण पर सेवा में कमी तथा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस साबित की है।

इण्डियन मेडिकल काउंसिल द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक चिकित्सक को मरीज के चिकित्सा सम्बन्धी रिकार्ड नियमानुसार रखे जायेंगे और यदि चिकित्सक द्वारा यह रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं तो सेवा में कमी मानी जाएगी। जैसा कि डॉ0 श्याम कुमार बनाम् रमेश भाई हरमान भाई कछिया, I (2006) CPJ 16 (NC) में अवधारित किया गया है। इसी प्रकार एच0एस0 शर्मा बनाम् इन्द्रप्रस्थ अपोलो हास्पिटल आदि, II (2007) CPJ 21 (NC) में निम्नानुसार अवधारित किया गया है :–

"……..Every physician shall maintain the medical records pertaining to his/her indoor patients for a period of 3 years from the date of commencement of the treatment in a standard proforma laid down by the Medical Council of India……..If any request is made for medical records either by the patients/authorised attendant authorities involved, the same may be duly acknowledge and documents shall be issued within the period of 72 hours……."

अस्तु विपक्षी डॉक्टर द्वारा प्रश्नगत रिकार्ड उपरोक्तानुसार नहीं बनाये गये हैं और न ही उन्हें परिवादी को समय से उपलब्ध कराये गये हैं।

इसके अतिरिक्त अपील की स्टेज पर दाखिल किये गये उपरोक्त अभिलेख, जो जिला मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये, अपीलार्थी द्वारा कोई अतिरिक्त दलील नहीं ली जा सकती है। अपीलार्थी द्वारा अपील की स्टेज पर दाखिल किये गये अभिलेख, जो फोटोस्टेट है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–1986 की धारा–13 (सी) से प्रभावित है क्योंकि अपील की स्टेज पर कोई भी नई दलील नहीं ली जा सकती है। जैसा कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय I (2000) CPJ में अवधारित किया गया है। अस्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त अभिलेख, जो छायाप्रति के रूप में है, उनकी मूल प्रति दाखिल नहीं की गयी है और न ही उन्हें सत्यापित कराया गया है। इसलिए वे फोर्स्ड, मैनुपुलेटेड तथा आफ्टर थॉट समझे जायेंगे, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा परिवादी के इलाज से सम्बन्धित रिकार्ड "इण्डियन मेडिकल काउन्सिल" द्वारा प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत नहीं बनाए गए हैं। इन रिकार्ड को बाद में अपील के लम्बित रहने के दौरान आफ्टर थॉट बनाया जाना विपक्षीगण के Mis-conduct को प्रदर्शित करता है, जो कि उनके द्वारा सेवा में कमी का द्योतक है।

3. अपीलार्थीगण/विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह कहा गया कि परिवादी/प्रत्यर्थी का जिस प्रथम डॉक्टर द्वारा इलाज किया गया, उसे

पक्षकार नहीं बनाया गया है। इस सम्बन्ध में परिवादी/प्रत्यर्थी का यह कहना कि उसके द्वारा किसी अन्य डॉक्टर से इलाज नहीं कराया गया है और न ही किसी क्वैक्स से इलाज कराया गया है। उसके पैर में किसी अन्य डॉक्टर द्वारा उसके टूटे हुए पैर में बाँस की खपच्ची नहीं बांधी गयी। यदि ऐसा होता तो अपीलार्थी डॉक्टर द्वारा उसकी फोटोग्राफी करायी जाती, परन्तु उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उसके पैर का किसी अन्य डॉक्टर द्वारा फस्ट ऐड नहीं किया गया, बल्कि सबसे पहले परिवादी, अपीलार्थी डॉक्टर के पास ही आया और उसके द्वारा ही उसका इलाज किया गया। इसलिए किसी अन्य डॉक्टर को इस केस में पक्षकार नहीं बनाया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सविता गर्ग बनाम् निदेशक, राष्ट्रीय हृदय संस्थान, IV (2004) CPJ 40 (SC) में निम्नानुसार अवधारित किया गया है :–

"Consumer Forum primarily meant to provide better protection in interest of consumers and not to short-circuit matter or defeat claim on technical grounds – Heavy burden cannot be placed on patient or family members/relatives to implead all those doctors who treated patient or nursing staff to be impleaded as party – Burden lies on hospital and concerned doctor who treated patient that there was no negligence involved in treatment."

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण '' मिस ज्वाइंउर आफ पार्टीज'' की श्रेणी में नहीं आता है।

4. विपक्षी संख्या–3, 4 व 5 द्वारा जिला मंच के प्रश्नगत आदेश के विरूद्ध इस पीठ के समक्ष कोई भी अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है, इसलिए जिला मंच का प्रश्नगत आदेश उनके विरूद्ध प्रभावी रहेगा क्योंकि जिला मंच द्वारा सभी विपक्षीगण को संयुक्त रूप से तथा अलग–अलग रूप से परिवादी को रू. 2,35,000.00 मय 6.5 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार विपक्षी संख्या–3, 4 व 5 के विरूद्ध जिला मंच का प्रश्नगत आदेश अन्तिम है और उनके ऊपर प्रभावी रहेगा।

5. विपक्षी डॉक्टर के अस्पताल में परिवादी को दिनांक 29.9.2000 से 22.12.2000 तक भर्ती रख कर रू. 1,33,830.00 के बिल चार्ज किए गए हैं, जबकि विपक्षी डॉक्टर द्वारा उसके पैर की फैसियोटॉमी नहीं की गयी, जिसके कारण उसके पैर में इनफैक्सन हो गया और बिना उसका घाव सूखे उसके पैर में प्लास्टर कर दिया गया, जिसके कारण उसके पैर में गैंगरीन पैदा हो गयी और बाद में उसका पैर बिना उसकी सहमति के काट दिया गया और वर्तमान में वह विकलांग हो गया। इतनी लम्बी अवधि तक परिवादी को विपक्षी डॉक्टर द्वारा अपने अस्पताल में रख कर परिवादी से अतिरिक्त भुगतान चार्ज किया गया। विपक्षीगण द्वारा अपनी चिकित्सा उपचार में की गयी त्रुटि के कारण विपक्षीगण द्वारा पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से उपचार पर हुए व्यय रू. 1,33,830.00 एवं मानसिक व शारीरिक यंत्रणा की क्षतिपूर्ति के रूप में

रू. 1,00,000.00 एवं वाद व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में रू. 2000.00, परिवादी को अदा करने के लिए उत्तरदायी हैं।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण करने एवं विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपीलार्थी/विपक्षीगण डॉक्टर द्वारा परिवादी/प्रत्यर्थी के पैर की चिकित्सा पद्धति द्वारा फैसियोटॉमी नहीं की गयी और फर्जी सहमति पत्र के आधार पर घोर चिकित्सकीय लापरवाही के साथ उसका बायाँ पैर काट कर उसके शरीर को अंग–भंग कर दिया गया। परिवादी के बायें पैर के आपरेशन/काटने के सम्बन्ध में विपक्षीगण की ओर से आपरेशन से पूर्व क्या–क्या व्यवस्थायें की गयीं और उनके द्वारा किन–किन सावधानियों को सुनिश्चित किया गया, इस सम्बन्ध में कोई भी सन्तोष जनक उत्तर नहीं दिया। परिवादी की चिकित्सा/उपचार के सम्बन्ध में विपक्षी डॉक्टर द्वारा न तो कोई फोटो और न ही एक्सरे रिपोर्ट दाखिल की गयी। इसके अतिरिक्त इलाज सम्बन्धी पर्चे एवं सहमति पत्र आदि भी मूल रूप में प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही उन्हें सत्यापित कराया गया। केवल आफ्टर थॉट अपील की स्टेज पर तैयार किए गए, मैनुपुलेटेड रिकार्ड्स की छाया प्रतियाँ दाखिल की गयी। यह भी उल्लेखनीय है कि जिस व्यक्ति का आपरेशन होने जा रहा है और जो अत्यधिक मानसिक तनाव में है, उससे ही उसके पैर काटे जाने की सहमति ली जा रही है। इन परिस्थितियों में आपरेशन से पूर्व मरीज की मनःस्थिति एवं भयावह पूर्ण परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उसके द्वारा ली गयी सहमति दिनांक 18.11.2000 बहुत अधिक अर्थपूर्ण नहीं रह जाती हैं। चूंकि यह सहमति मूल रूप में दाखिल नहीं की गयी और परिवादी भी इस पर अपने हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा करने से इंकार करता है, साथ ही इस पर किसी साक्षीगण के हस्ताक्षर नहीं हैं, इसलिए प्रस्तुत सहमति विश्वसनीय नहीं है। विपक्षी डॉक्टर द्वारा परिवादी के बायें पैर को बिना किसी इमरजेन्सी के काटना घोर चिकित्सकीय लापरवाही है। अपीलार्थी/विपक्षीगण द्वारा परिवादी से उपचार सम्बन्धी व्यय भी मनमाने ढंग से लिये गये हैं। विपक्षीगण द्वारा परिवादी/प्रत्यर्थी विजय पाल की चिकित्सा/उपचार में घोर उदासीनता, असावधानी व लापरवाही बरती गयी है एवं सेवा में कमी की गयी है तथा मनमाने ढंग से उपचार व्यय लेने के आधार पर विपक्षीगण अनुचित व्यापारिक व्यवहार के प्रति भी दोषी हैं। अतः प्रत्यर्थी/परिवादी, अपीलार्थी/विपक्षीगण से उपचार में हुए व्यय रू. 1,33,830.00 प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त मानसिक एवं शारीरिक यंत्रणा की क्षतिपूर्ति के लिए रू. 1,00,000.00 एवं अनावश्यक रूप से किए गए वाद व्यय हेतु रू. 2,000.00 की प्रतिपूर्ति पाने के अधिकारी हैं। तद्नुसार जिला मंच का प्रश्नगत निर्णय विधिसम्मत है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अस्तु अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

## आदेश

प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है। तद्नुसार जिला उपभोक्ता फोरम, गौतम बुद्ध नगर द्वारा परिवाद सं0 484/2001 में पारित आदेश दिनांक 05.4.2003 की पुष्टि की जाती है।

उभय पक्ष अपना–अपना अपीलीय व्यय–भार स्वयं वहन करेंगे।

इस निर्णय की सत्य प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाय।

भँवर सिंह

(न्यायमूर्ति भँवर सिंह)
अध्यक्ष

(एस0ए0ए0 रिजवी)
सदस्य

29.07.2010

(रामपाल सिंह)
सदस्य

जितेन्द्र